न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/09

1. मंसूर अली आत्मज हाजी गफूर जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातौली माधोपुरा चौराहा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. सिराजुद्दीन आत्मज हाजी गफूर ।
3. शब्बीर हुसैन आत्मज हाजी गफूर ।
4. खादिम हुसैन आत्मज हाजी गफूर जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा
5. मरियम पुत्री हाजी गफूर पत्नी इदरीस उर्फ भूरिया जाति मुसलमान निवासी मेन रोड चौराहा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

शबाना बेगम पत्नी मंजूर अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन

किया कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 796/1 की रकबा 0.76 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी के नाम दर्ज चली आ रही है और उक्त भूमि प्रार्थिया की क्रयशुदा भूमि है । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर वे प्रार्थिया के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं । अप्रार्थीगण प्रार्थिया को जबरन ताकत के बल पर उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थिया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 796/1 रकबा 0.76 हैक्टर में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपने निर्णय दिनांक 20.11.2020 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता गफूर शाह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो बिना किसी प्रतिफल एवं अधिकार के रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी है । उक्त गलत इन्द्राज के आधार प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा रहती है और आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा रहती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र भी त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । ग्राम बडौद तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 796/1 रकबा 0.76 हैक्टर अपीलान्टगण के पिता गफूरशाह के खाते में दर्ज थी वो बिना

किसी आधार के रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की गई है । इस इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल करने और आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । रेस्पोडेन्ट का कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । अपीलान्टगण ने यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में दावा पेश कर रखा है जो जैरकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 निरस्त फरमाया जावे।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 796/1 रकबा 0.76 हैक्टर रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है यह आराजी रेस्पोडेन्ट की क्रयशुदा है । अपीलान्टगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका कब्जा है । अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट के कब्जे में हस्तक्षेप करने पर आमादा रहते हैं । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार अपीलान्टगण को नहीं दिये जा सकते । अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और अपीलान्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को 02 अपीलें पेश करनी चाहिएं परन्तु उनके द्वारा एक ही अपील पेश की है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 316, आरआरटी 2020 (1) पेज 198, आरआरडी 1987 पेज 395 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसका जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण ने पेश किया है । जवाब उल जवाब प्रार्थिया के द्वारा परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा में सिराजुद्दीन एंव अन्य के द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य के खिलाफ विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए पेश किये गये दावे की प्रति संलग्न है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी गफूरशाह के खाते में दर्ज थी और नामान्तरकरण संख्या 1441 से विक्रय के आधार पर यह आराजी शबाना बेगम प्रार्थिया के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार गफूरशाह ने आराजी शबाना बेगम को विक्रय की है । यह विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय सुल्तानपुर के यहॉ दिनांक 22.02.2018 को पंजीबद्ध हुआ है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थिया जो कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार कृषक है के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है और काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के खाते में दर्ज है । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में तय

पायी जातीं है । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को 02 अपीलें पेश करनी चाहिए परन्तु उनके द्वारा एक ही अपील पेश की गई जो आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 316, आरआरटी 2020 (1) पेज 198 की रोशनी में मेन्टेनेबल नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा